

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

निर्वाचन आवश्यक/फैक्स

संख्या 1648/रा0नि0आ0-2/786/2007 दिनांक 06/09/2008

प्रेषक,

जे0आर0लापड़,
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

विषय- त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2008 को सम्पन्न कराने हेतु मतगणना सम्बन्धी आवश्यक निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2008 निष्पक्ष, स्वत्रंत तथा शान्तिपूर्वक कराये जाने हेतु यह आवश्यक है कि मतगणना सम्बन्धी कार्यवाही सावधानी पूर्वक सुनिश्चित की जाय इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया मतगणना के दौरान निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1-सुभेदकशील अथवा वार्ड क्रमांक न होने की स्थिति में जारी किये गये एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किये गये मतपत्र लेखा में मतपत्र अनुक्रमांक के आधार पर गणना के दौरान मतपत्र छटायी किये जाने के स्तर पर ही ऐसे मतपत्रों को गणना में शामिल किया जायेगा। किन्तु जिस मतपत्र के पृष्ठ भाग पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है वह अवैध माना जायेगा और रद्द कर दिया जायेगा।

2-प्रतिपर्ण सहित प्राप्त मतपत्र विधिवत मतदाता को जारी किया हुआ न होने के कारण निरस्त किया जायेगा।

//2//

3-मतपत्र में किसी प्रत्याशी के प्रतीक के निर्धारित खाने में एरोक्रास मोहर का निशान अकित हो तथा मतपत्र के उपरी भाग में अगूठे का निशान पाया जाता है तो व मतपत्र अवैध माना जायेगा, परन्तु निर्वाचिन अधिकारी द्वारा परीक्षण करते समय यह देखना आवश्यक है कि मतपत्र पर मतदाता द्वारा स्याही लगे अगूठे से असावधानी पूर्वक पकड़ने पर निशान तो नहीं लगा है। केवल वही मतपत्र अवैध होगा जिस पर अगूठे के निशान से मतदाता की पहचान होती हो।

भवदीय,

ह0.

(जे0आर0लापड़.)

संयुक्त सचिव।

संख्या 1648(1)/रा०नि०आ०अनु०-२/७८६/२००७ तद॒दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त आयोग के प्रेक्षकगण, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानीय चुनावालय, उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी /उप जिला निर्वाचिन अधिकारी, उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।

ह0.

(जे0आर0लापड़)

संयुक्त सचिव।